

शेयर निवेश और आयकर

क्या आप जानते हैं कि शेयरों में निवेश पर होने वाले आय पूर्णतः कर मुक्त हैं अगर आपकी निवेश अवधि 365 दिन से ज्यादा है, जो किसी भी अन्य प्रकार के निवेश में उपलब्ध नहीं है।

आप शेयर बाजार में निवेश या कारोबार तो कर रहे हैं लेकिन क्या आपने इसपर प्राप्त लाभ या हानि का विवरण अपने आयकर विवरणी में उल्लेख किया है ?

अगर नहीं तो इसे तुरंत ही अपने आयकर विवरणी में आपके आयकर सलाहकार या स्वयं के मदद से विवरणी अवश्य डालें और इस कारोबार या निवेश से प्राप्त लाभ या हानि दोनों बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से स्वयं निर्धारण कर उसपर लगने वाले Tax का calculation कर उसे आयकर विवरणी में सम्मिलित कर सकते हैं एवं आयकर विभाग से चिंतामुक्त रह सकते हैं।

शेयर बाजार में मूलतः तीन तरह के Tax applicable होते हैं :-

- 1. Long Term:** - अगर आपकी निवेशित अवधि 365 दिन से ज्यादा है तो इस निवेश से प्राप्त आय पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं है।
- 2. Short Term:** - अगर आपकी निवेशित अवधि 365 दिन से कम है तो इस निवेश से प्राप्त आय पर 15% के दर से टैक्स लगेगा। अगर आपको इस निवेश पर नुकसान हुआ है तो आप इस नुकसान का adjustment आगे के वर्षों में प्राप्त Short Term Gain से ले सकते हैं, यदि आपने अपना Income Tax Return उचित समय पर दाखिल किया हो और उसमें इस नुकसान का उल्लेख किया हो।
- 3. Speculation or Business Income:** - यदि आप शेयर बाजार में Intra-Day या Derivative Segment में कारोबार करते हैं तो इससे प्राप्त आय पर आपके Slab के अनुसार टैक्स की देनदारी बनती है और अगर इसमें आपको नुकसान होता है तो इसे आप आनेवाले वर्षों में प्राप्त आय से adjust कर सकते हैं। ये adjustment तभी मान्य होगा जब आपने अपना Income Tax Return यथासमय में दाखिल किया हो और उसमें इस नुकसान का उल्लेख किया हो।

शेयरों में निवेश पर प्राप्त लाभांश (Dividend) पूर्णतः कर मुक्त होता है एवं लाभ-हानि का निर्धारण FIFO (First In First Out) के आधार पर किया जाता है।

Profit/Loss Calculation

Purchase Value = Purchase Rate + Commission

Sell Value = Sell Rate - Commission

Profit/Loss = (Sell Value – Buy Value)

- Less all type of charges paid on transaction. Such as Service Tax, STT, Transaction Tax, Stamp Duty etc.

Mutual Fund

Mutual Fund में मूलतः दो प्रकार से निवेश किये जा सकते हैं:-

1. **Equity Fund:** जहाँ आपके द्वारा निवेशित राशि का निवेश Equity Market में होता है ।
2. **Debt Fund:-** जहाँ आपके द्वारा निवेशित राशि का निवेश ऋण पत्रों या निश्चित ब्याज वाले पत्रों में किया जाता है ।

इन दोनों में लगने वाले आयकर भी अलग-अलग होते हैं जो निम्नलिखित हैं :-

- 1) **Equity Fund:** अगर आपकी निवेशित अवधि 365 दिन से ज्यादा है तो इस निवेश से प्राप्त आय पर किसी प्रकार का टैक्स देय नहीं है ।

अगर आपकी निवेशित अवधि 365 दिन से कम है तो इस निवेश से प्राप्त आय पर Short Term Gain टैक्स देय होगा जो की वर्तमान समय में 15% है और अगर आपको इस निवेश पर नुकसान हुआ है तो आप इस नुकसान का adjustment आगे के वर्षों में प्राप्त Short Term Gain से ले सकते हैं, यदि आपने अपना Income Tax Return उचित समय पर दाखिल किया हो और उसमें इस नुकसान का उल्लेख किया हो ।

- 2) **Debt Fund:-** अगर आपका निवेश Mutual Fund के द्वारा Debt Fund (जैसे कि Income Fund, Bond Fund, Liquid Fund, FMP, MIP इत्यादि) में किया गया है और इस पर प्राप्त आय अगर 365 दिन से कम है तो इसमें आपके Slab के अनुसार टैक्स देय होगा और अगर आपकी निवेशित अवधि 365 दिन से अधिक है तो Long Term capital Gain टैक्स देय होगा जो कि वर्तमान में 10% Flat या 20% Indexation Benefit के बाद देय होगा, जो भी कम हो दोनों स्थिति में वही आप दे सकते हैं ।

इस निवेश पर प्राप्त लाभांश (**Dividend**) पूर्णतः कर मुक्त होता है ।

Disclaimer: विशेष जानकारी के लिए आप अपने टैक्स सलाहकार से सलाह अवश्य लें ।